राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत मटीली राठान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A 7

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2017

1. जीतसिंह पुत्र सौदागरसिंह जाति मजहबीसिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. गगनदीपसिंह पुत्र उद्यमसिंह जाति जटसिख निवासी 16 एफ बड़ा मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता	प्रार्थी
2. गगनदीपसिंह पुत्र उद्यमसिंह	स्वयं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 25.05.2017**

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि प्रार्थी के नाम से चक 16 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/23 मुरब्बा नम्बर 52 की 6.200 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल है। इस कृषि भूमि कि सिचाई गंग कैनाल के पानी से हो रही है। लेकिन पानी की कमी के कारण सभी चकों के काश्तकारों द्वारा आस पास नहरों के समीप टयूबवैल लगाये हुए ह तथा टयुबवैल से सिचाई की जाती है। जिससे न केवल भूमि का सुधार होता है, बल्कि अच्छी फसल भी प्राप्त होती है। प्रार्थी नें मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 24 में नहर के साथ बहादरसिंह पुत्र सादासिंह से भूमि लेकर टयूबवैल स्थापित किया हुआ है। जिसके टयुबबैल के पानी से मुरब्बा नम्बर 52 में प्रार्थी की कृषि भूमि सिंचित हो रही है। जो मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 से 25 रकबा अप्रार्थी का है जिसमें से किला नम्बर 23, 22, 21 में 3 फीट गहराई में पाईप लाईन अप्रार्थी की सहमति से दबाई हुई है जो काफि समय से मुरब्बा नम्बर 52 को सिंचित करनें के लिये सिंचाई हो रही है। इस सम्बंध में कभी भी अप्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है।

अब प्रार्थी के मन में गलत लालच आ गया है तथा प्रार्थी को ब्लैकमेल करनें तथा मुरब्बा नम्बर 52 में टयुबवैल का पानी से सिंचाई से बवंचित करनें की नियत से उपरोक्त किला नम्बर 21, 22, 23 में जो 3 फीट गहराई में पाईप दबी हुई है, को उखाड़ना चाहता है। यदि अप्रार्थी इस मकसद में सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी अपनें मुरब्बा नम्बर 52 की भूमि काश्त से वंचित हो जावेगा ऐसी सूरत में प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

A2
2

प्रार्थी नें अप्रार्थी को बार–आर आग्रह किया कि वह प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के रकबा चक 16 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 22, 23 में 3 फीट गहराई में दबी हुई पाईप जो अब अप्रार्थी की सहमति से दबाई गई है तथा शान्ति पूर्वक उपयोग की जा रही है, को न उखाड़े परन्तु अप्रार्थी लालचवश है और उसनें दिनांक 25.04.2017 को ऐलानियां धमकी दी है, कि वह उक्त पाईप लाईन को उखाड़ देगा ऐसी सूरत में अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायोचित है, कि वह उक्त पाईप लाईन जो काफी समय से चल रही है को उखाड़नें से बाज ममनू रहे।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को चक 16 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 22, 23 में 3 फीट गहराई तक दबी पाई को उखाड़नें व सिचाई सुविधा बाधित करनें से रोका जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटीली राठान में आयोजित शिविर में अप्रार्थी गगनदीपसिंह उपस्थित आया तथा जबाब पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी नें चक 16 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 22, 23 में पाईप दबाई हुई है जिसका मै मालिक व काबिज हूँ। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त वर्णित दबी पाईप लाईन के सम्बधं में सहमति देता हूँ तथा पाईप के सम्बंध में कोई एतराज नहीं है। अतः चक 16 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 22, 23 में प्रार्थी जीतसिंह द्वारा पाईप लाईन दबाई जाती है तो मुझे कोई उजर व एतराज नहीं है तथा प्रार्थी भविष्य में पाईप लाईन को नहीं उखाडेगा।

अप्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 16 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 22, 23 में पाईप लाईन दबानें की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :—

1. पाईप लाईन भूमि से तीन फीट गहराई में दबाई जावेगी।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में वर्तमान फसल का नुकसान सम्बंधी विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान अप्रार्थी की फसल का कोई नुकसान होता है, तो उसका भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 25.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटीली राठान में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर